

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 444 / 2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

कलयान तिडू

मुकुल मुण्डू

- विक्रेता

- क्रेता

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

21.09.20

आदेश

आवेदक कलयान तिडू पिता स्व० सामुएल तिडू ग्राम खूँटी टोली, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने मुकुल मुण्डू पिता स्व० मानुएल मुण्डू ग्राम खूँटी टोली, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
खूँटी टोला	80	20	610	0.10

अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 744 दिनांक 19.09.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

21/09/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।

21/09/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।